नगर पालिक निगम, भोपाल

जनसंपर्क शाखा

निगम अमले ने कबाडखाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल

पर बनी अवैध दीवार को हटाने की कार्यवाही की

अन्य स्थानों से भी हटाये अतिक्रमण

भोपाल, 21 जुलाई 2014

नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के अमले ने सोमवार को भवन अनुज्ञा शाखा के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए न्यू कबाडखाना क्षेत्र में आम रास्ते पर बनाई अवैध दीवार को हटाने की कार्यवाही की इसके अतिरिक्त अतिक्रमण विरोधी अमले ने रॉयल मार्केट से सीहोर नाका बैरागढ़ तक, भोपाल टॉकीज से अल्पना तिराहा होकर लेडी हास्पिटल करोंद रेलवे फाटक, निशातपुरा, नई गल्ला मण्डी एवं शाहपुरा आदि क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर आगमन को बाधित करने वालों के अतिक्रमणों को हटाया। साथ ही आई.एस.बी.टी. में अवैध रूप से लगे दो छत वाले ठेलों जप्त किये तथा जोन क्र.–6 के अंतर्गत सेंट मैरी स्कूल के पास नाला सफाई कार्य में बाधित नाले कें चैम्बरों में बने अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की।

––––

अपर आयुक्त स्वास्थ्य ने की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जोनवार समीक्षा

भोपाल, 21 जुलाई 2014

अपर आयुक्त श्री संजय कुमार द्वारा निगम द्वारा संचालित सभी जोनों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जोनवार एवं वार्डवार समीक्षा की। अपर आयुक्त द्वारा सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में संलग्न सुपरवाईजरों से वार्डवार साईकल रिक्शों की जानकारी प्राप्त की एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा स्वच्छता प्रभारियों से इस कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों पर सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिये।

अपर आयुक्त श्री संजय कुमार द्वारा जानकारी प्राप्त की गई की जो साईकल रिक्शा की स्थिति संतोषजनक नहीं है उसकी मरम्मत कराई जाये और दयनीय स्थिति वाले कंटेनरों को वर्कशाप में जमा कराये जाने की कार्यवाही करें। जिस वार्ड में सुपरवाईजर द्वारा समुचित रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है, न ही उसके द्वारा सही ढंग से पर्यवेक्षण किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये। अपर आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिये गये यदि एक मकान में 10 परिवार निवास करते है तो उन सभी के अलग–अलग उपभोक्ता प्रभार के खाते खोलकर वसूली की कार्यवाही सुनिशिचित करें। यदि उपभोक्ता द्वारा समय पर उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया गया तो उक्त राशि को उसके सम्पत्ति कर खाते में जोड़ दिया जाये।

————

निगम आयुक्त श्री विशेष गढ़पाले ने राजस्व वसूली संतोषजनक न होने पर सख्त नाराजगी जताई

दो जोनल अधिकारियों और 17 वार्ड प्रभारियों को नोटिस, 20 दिन

में वसूली संतोषजनक न होने पर होगी सख्त कार्यवाही

भोपाल, 21 जुलाई 2014

निगम आयुक्त श्री विशेष गढ़पाले ने सोमवार को राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली तथा लोकायुक्त की समीक्षा वाले प्रकरणों की वसूली संतोषजनक न होने पर की सख्त नाराजगी जताते हुए जोनल अधिकारी जोन क्र.– 1 एवं 8 तथा वार्ड प्रभारी वार्ड क्र.– 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 21, 32, 34, 40, 41, 44, 48, 64 को नोटिस जारी करने और 20 दिवस में वसूली संतोषजनक न होने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्री गढ़पाले ने वार्ड क्र.– 57 के वार्ड प्रभारी श्री शैलेन्द्र पारे का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में महापौर परिषद् के सदस्य श्री आशाराम शर्मा एवं श्री पंकज चौकसे तथा उपायुक्त राजस्व/सम्पत्ति कर श्री प्रदीप वर्मा मौजूद थे।

निगम आयुक्त श्री विशेष गढ़पाले ने सोमवार को सांयकाल आचार्य नरेन्द्र देव के सभाकक्ष में जोनल अधिकारियों एवं वार्ड प्रभारियों की बैठक में राजस्व वसूली तथा लोकायुक्त की समीक्षा वाले प्रकरणों की वार्डवार समीक्षा की। सम्पत्ति कर में 6 प्रतिशत की छूट के मात्र सवा महीने शेष रहने पर भी राजस्व वसूली की स्थिति संतोषप्रद न होने पर निगम आयुक्त श्री गढ़पाले ने सख्त रूख अपनाते हुए जोनल अधिकारी जोन क्र.–1 श्री विजय तिवारी एवं जोनल अधिकारी 8 श्री मतीन एहमद को नोटिस जारी करने तथा वार्ड प्रभारी वार्ड क्र.– 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 21, 32, 34, 40, 41, 44, 48, 64 को नोटिस जारी करने और 20 दिवस में राजस्व वसूली तथा लोकायुक्त प्रकरणों की वसूली संतोषजनक न होने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निगम आयुक्त ने जोनल अधिकारियों एवं वार्ड प्रभारियों को सख्त हिदायद दी की लोकायुक्त की समीक्षा वाले प्रकरणों में शत–प्रतिशत वसूली शीघ्रता से की जाये और इन प्रकरणों को शून्य की स्थिति में लाया जाये अन्यथा जिन वार्डो में स्थिति संतोषजनक नहीं होगी उन वार्ड प्रभारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। निगम आयुक्त ने जोनल अधिकारियों एवं वार्ड प्रभारियों को व्यवसायिक सम्पत्तियों को चिन्हित कर शत–प्रतिशत खाते खोलने और तेजी से वसूली करने के निर्देश दिये साथ ही यह भी चेतावनी दी कि जिन वार्डो में व्यवसायिक संपत्तिया पाई गई और इनके खाते खोलकर वसूली नहीं की गई तो उन वार्ड प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में सभी वार्ड प्रभारियों से व्यवायिक सम्पत्तियों के शत–प्रतिशत खाते खोलने की लिखित में

जानकारी ली जाये। निगम आयुक्त ने वसूली में और तेजी लाने हेतु नवीन वार्ड प्रभारी की पदस्थापना करने के भी निर्देश दिये। तहबजारी एवं पैड पार्किंग की जिन स्थानों पर विभागीय वसूली की जा रही है उन स्थानों के प्रस्ताव बनाकर टेंडर प्रक्रिया की जाये तथा जिन ठेकेदारों द्वारा समय पर निगम की देय किश्ते जमा नहीं की जा रही है उनके ठेके निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये साथ ही पार्किंग स्थल की वसूली हेतु संलग्न कर्मचारियों को ड्रेस कोड एवं नेम प्लेट लगाने के भी निर्देश दिये।